पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प सागर म०प्र०

R 4327/L

B.O.R.

2 JAN 2015

श्रीमती धनियाबाई पत्नि चनुवा अहिरवार

निवासी- ग्राम पाली, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर म०प्र०

.... आवेदिका.

// विरूद्ध //

नथुआ तनय कटुवा अहिरवार

निवासी- ग्राम पाली, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर म०प्र०

...... अनावेदक.

निगरानी अन्तर्गत धारा -50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग, सागर म०प्र० के अपील प्र०क्र०-228/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक- 22.1.2015 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय के समक्ष प्रस्तुत है :-

§§ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य §§

1. यह कि, आवेदिका ग्राम पाली की निवासी है जहां आवेदिका के स्वामित्व, आधिपत्य की पैत्रिक भूमि खसरा नं. 303 रकवा 0.687 स्थित है, जिस पर उसका स्वामित्व व आधिपत्य है परन्तु तहसीलदार बिजावर द्वारा अपीलार्थी/आवेदिका को कोई सूचना दिए बगैर ही एकपक्षीय ढंग से प्र०क्र०- 95/अ-6अ/12-13 में दिनांक- 12.9.13 को आदेश पारित कर उक्त भूमि पर प्रतिअपी० नथुआ का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी/आवेदिका को नहीं दी गई ,ना ही उसे तर्क साक्ष्य व जबाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और नथुआ चमार द्वारा अनैतिक रूप से तहसीलदार से आपसी मेलजोल कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करा लिया जिसके [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

(1)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ   धनियाबाई / नथुवा

प्रकरण क्रमांक निग.432-एक/2015 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-2-14 सागर कैंप	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ अति. आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय के प्र.क्र. 228/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-1-15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 2- अतिरिक्त आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार बिजावर का आदेश दि. 12-9-2013, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-1-14 के अनुपालन में की गई कार्यवाही है। इसलिये अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से नस्तीबद्ध की गई है। अति. आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपर न्यायालय का आदेश निम्न न्यायालय पर बंधनकारी है। अत: प्रथमदृष्टया इस निगरानी में बल नहीं होने से सुनवाई हेतु अग्राहय की जाती है। (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	

[कृ. प. उ.